www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 03.01.2017

सीबीआई ने चिट फण्ड मामले की जारी जॉंच में एक संसद सदस्य को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने चिट फण्ड मामले की जारी जॉंच में एक संसद सदस्य को आज गिरफ्तार किया।

वर्तमान मामला, वर्ष 2013 की समादेश याचिका संख्या 401 एवं 2013 की समादेश याचिका संख्या 413 में ज़ारी दिनांक 09.05.2014 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक प्राइवेट कम्पनी समूह के तत्कालीन चेयरमैन एवं अन्यों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/ 409/ 120-बी/ 34 तथा इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 4, 5, एवं 6 के तहत दिनांक 05.06.2014 को पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोप है कि उक्त कम्पनी ने जनमानस को उच्च ब्याज दर देने के वादे पर उनसे अवैध रूप से 17,000 करोड़ रू. लगभग एकत्र कर लिया।

जॉच के पश्चात, तत्कालीन चेयरमैन ; तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ; तत्कालीन निदेशक एवं उक्त कम्पनी समूह के पूर्व निदेशक सहित चार व्यक्तियों और उक्त समूह की तीन प्राइवेट कम्पनियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धार 420, 409, 120-बी और इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 4 व 6 के तहत दिनांक 07.01.2016 को आरोप पत्र दायर किया। व्यापक षड़यंत्र एवं धन हानि के पहलुओं का पता लगाने हेतु अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका की जॉंच पड़ताड़ के लिए आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173(8) के प्रावधानों के अनुसार आगे की जॉंच ज़ारी है।

गिरफ्तार आरोपी को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा।

****